संख्या-8/1214/12-2-2013-बजट-3/2010

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 16 मई, 2014

विषय अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401 के अन्तर्गत कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या अभि0/49/लेखा-निजी नल0/2013-14 दिनांक 21 अप्रैल, 2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-14 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 2400000 हजार (रूपया दो सौ चालीस करोड मात्र) के सापेक्ष प्रथम चार माह (अप्रैल, 2014 से जुलाई, 2014 तक) हेतु रू0 80.00 करोड (रूपये अस्सी करोड मात्र) की स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि स्वीकृत धनराशि का आहरण एक मुश्त नहीं किया जायेगा। प्रतिमाह रू0 20.00 करोड की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जायेगी और गत माह हेतु भुगतान की गयी अनुदान की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही अगले माह की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जायेगी तथा लाभार्थी परक योजना के दृष्टिगत उक्त धनराशि का व्यय लोक सामान्य निर्वाचन, 2014 के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श चुनाव आदर्श संहिता में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2. इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

3. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा है। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

4. शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाईनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

6. उक्त मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्वि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानम मद-27-सब्सिडी योजनान्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

7. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुदान संख्या-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-795/दस'2014'231/2014 दिनांक 14 मार्च, 2014 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किए जा रहे हैं। इसकी प्रति विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित है। अतः इसमें निहित निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

इन्द्रदेव पटेल
संयुक्त सचिव।

संख्या: 8/1214(1)/12-2-2014 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय/प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, लखनऊ।
6. वित्त व्यय-नियंत्रण अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

इन्द्रदेव पटेल
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in